अपील सूचना अधिकार संख्या 108/2021 (GCMS 2021/169) (RTI Portal No. 212874900190643) ईमीचन्द पुत्र कानाराम जाति कुम्हार गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर – 335021 (मोबाईल नं. 89555–95534) बनाम उप जिला कलक्टर, भू.अ. कार्यालय रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.02.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री ईमीचन्द उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2021 से लोक सूचना अधिकारी **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने दिनांक 01.09.2021 को प्रार्थी का मूल पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को स्थानान्तरित कर दिया और प्रार्थी को भी सूचित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर से वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2021 से निम्न सूचना चाही थीः

1. इमीचन्द पुत्र कानाराम जाति कुम्हार गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर शिकायत पत्र में वर्णित बिन्दु 1, 2, 3 पर आपके द्वारा आज तक की गई कार्यवाही की प्रमाणित सूदा नकल
2. शिकायत पत्र दिनांक ...03...9 एवं राजस्थान सरकार, राजस्व मण्डल ... क्रमांक राम/भू.अ./शिका./प–15/2019/3717 दिनांक ...0.04.2019 संलग्न हैं
3. उक्त प्रकरण में की गई जांच एवं की गई कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रमाणित सूदा नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्र दिनांक 24.09.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

> उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत पत्र के संदर्भ में लेख है कि आपके द्वारा आर.टी.आई. आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2021 इस कार्यालय को प्राप्ति दिनांक 13.09.2021 में की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही गई है। इस संबंध में आप द्वारा चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रति कार्यालय में नियमानुसार आवेदन निर्धारित शुल्क सहित जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> रायसिंहनगर

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को वांछित सूचनाओं प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु उक्तानुसार सूचित किया है जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित राशि जमा कर उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से वांछित सूचना प्राप्त कर सकते है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। [illegible] तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश [illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुना[illegible]

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:22 IST
Reason: SelfAttested